।। अंगिराऽसि जंगिडः ।।

अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, दिल्ली

का

संविधान

महर्षि अंगिरा

अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा की महासमिति की इन्दौर बैठक में पारित (दिनांक 27.01.2013)

प्रधानः श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (जांगिड)

महामंत्रीः श्री शिवनाथ शर्मा

कोषाध्यक्षः श्री सुरेन्द्र कुमार वत्स

Amended as on............ 919

अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा, दिल्ली

(भारत सरकार के सोसाइटी अधिनियम 1860 (21) के अर्न्तगत पंजीकृत क्रमांक एस.27/1919)

संविधान 1993 में
संशोधन

प्रस्तावनाः

सम्पूर्ण राष्ट्र में निवास कर रहे जांगिड ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में पिरो कर संगठित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करने के उद्देश्य से मथुरा के स्व. श्री गोवर्धनदास जी, पंजाब के स्व. श्री पालाराम जी, लखनऊ के स्व. डा. इन्द्रमणि जी ने अजमेर (राजस्थान) में बैठक आयोजित कर 26–27 दिसम्बर 1906 को संगठन बनाया। कालान्तर में देश के अनेक विद्वान समाज के हितचिंतकों जिनमें स्व. श्री जय कृष्ण जी मणिठिया का नाम उल्लेखनीय है ने संविधान पारित करा कर इसका पंजीयन सोयाइटी एक्ट 1860 के अर्न्तगत कराया जिसका क्रमांक एस. 27–1919 है, समय व परिस्थिति के अनुसार इनमें अनेक संशोधन हुये व 28.11. 1993 में हुये संशोधन के अनुसार क्रियान्विती की जा रही है ।
संविधान में मात्र नीति निर्देशक सिद्वान्तो (DIRECTIVE PRINCIPLES) का विवरण है।

नामः

जांगिड ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि संगठन है जिसका नाम ''अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा'' होगा। इस संविधान में अन्यत्र प्रयुक्त शब्द ''महासभा'' का आशय इस संगठन का पूरा नाम होगा।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI सत्यमेव जयते

कार्यक्षेत्रः

महासभा का कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय होगा।

प्रधान कार्यालयः

महासभा का प्रधान कार्यालय ''जांगिड ब्राह्मण भवन'' 440, हवेली हैदर कुली, चांदनी चौक, दिल्ली 110006 है।

महासभा का प्रतीक चिन्हः

महासभा पत्रिका के मुख पृष्ठ व लेखन सामग्री पर उपयोग होगा (जिसके अनुसार गोलाकार महासभा नाम नीचे ''अंगिराऽसि जंगिडः'' गोले के केन्द्र में भारत वर्ष का मानचित्र व मानचित्र के केन्द्र में अथर्ववेद अंकित होगा।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as on.......... Registrar of Society

महासभा प्रतीक चिन्हः

केसरिया रंग का 1.5 गुणा 1 मीटर का ध्वज जिसके केन्द्र में महासभा प्रतीक चिन्ह व गोलाकार प्रतीक चिन्ह के चारों ओर विश्वकर्मा अष्टक का मंत्र–

ओ३म् नमोऽस्तु विश्वरुपाय, विश्वरुपाय ते नमः ।
नमो विश्वात्म भूताय, विश्वकर्मन्नमोऽस्तुते।।

अंकित होगा। इसका उपयोग सामाजिक समारोह में सम्मानपूर्वक ध्वजारोहण कर किया जायेगा ।

महासभा के उद्देश्यः

(क) जांगिड ब्राह्मणों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, नैतिक, सांस्कृतिक उत्थान के उपाय करना व उनमें शिल्प, शिक्षा, कला–कौशल तथा विज्ञान आदि के महत्व का प्रचार करना ।

(ख) जांगिड ब्राह्मणों को संगठित करना तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना ।

(ग) जांगिड ब्राह्मणों के सामाजिक, आत्म–सम्मान, वैधानिक हितों तथा सामाजिक गौरव की रक्षा करना ।

(घ) आर्थिक रूप से पिछडें परिवारों के समाज बन्धुओं व बहिनों के शिक्षा हेतु प्रबन्ध में सहयोग करना, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण व उचित मार्गदर्शन करना "शिक्षा कल्याण कोष" स्थापित कर मेधावी छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना ।

(ङ) समाज के पारस्परिक अथवा सामाजिक विवादों का यथोचित नीति तथा आपसी सद्भाव से निपटारें का प्रयत्न करना ।

(च) समाज की उन्नति के लिये समाचार–पत्र, पुस्तकें, ट्रेक्ट आदि प्रकाशित करना ।

(झ) महासभा के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के प्रचार तथा सामाजिक संगठन प्रसार हेतु प्रादेशिक, जिला, शाखा, ब्लाक, तहसील तथा ग्राम, सभाओं साथ ही विधानसभा क्षेत्रानुसार सभाओं आदि का गठन करना। साथ ही प्रतिवर्ष "ब्रह्मर्षि अंगिरा जयंती" एवं "श्री विश्वकर्मा जयंती" समारोहपूर्वक मनाया जाना।

(ज) समाज से सम्बधित सूचनाओं तथा सभी उपयोगी पुस्तकों का पुस्तकालय स्थापित करना।

(झ) प्रदेश व जिला स्तर पर छात्रावास, कोचिंग सेन्टर, पुस्तकालय व म्युजियम स्थापित कर सफल संचालन करना सम्पूर्ण राष्ट्र में एकरूपता की दृष्टि से इनका नाम "अंगिरा धाम" रखा जायेगा ।

(ञ) विधवा / विकलांग /असाध्य रोग से पीड़ित समाज के महिला पुरूषों को आर्थिक सहयोग की व्यवस्था करना साथ ही चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI सत्यमेव जयते

1. सदस्यताः

(क) केवल जांगिड ब्राह्मण जाति के 18 वर्ष व इससे अधिक आयु के स्त्री, पुरुष महासभा के सदस्य बन सकते है। 18 वर्ष से कम आयु के सदस्य, महासमिति के सदस्य नहीं होंगे। उनकी पहचान केवल दानदाता के रूप में होगी।

(ख) महासभा के नौ प्रकार के सदस्य होंगे–

(1) प्लेटीनम सदस्य– ऐसे सदस्य जो एक मुश्त एक लाख रुपये महासभा कोष में जमा करायेंगे, प्लेटीनम सदस्य कहलाऐंगे।

(2) स्वर्ण सदस्य– ऐसे सदस्य जो एक मुश्त इक्यावन हजार रुपये महासभा कोष में जमा करायेंगे, स्वर्ण सदस्य या गोल्डन सदस्य कहलाऐंगे।

(3) रजत सदस्य– ऐसे सदस्य जो एक मुश्त पच्चीस हजार रुपये महासभा कोष में जमा करायेंगे, रजत सदस्य या सिल्वर सदस्य कहलाऐंगे।

(4) विशेष सम्पोषक सदस्य– ऐसे सदस्य जो इक्कीस हजार रुपये महासभा कोष में जमा करायेंगे, विशेष सम्पोषक सदस्य कहलाऐंगे।

(5) सम्पोषक सदस्य– ऐसे सदस्य जो ग्यारह हजार रुपये महासभा कोष में जमा करायेंगे, सम्पोषक सदस्य कहलाऐंगे।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Registrar of Society

(6) संरक्षक सदस्य– ऐसे सदस्य जो एक हजार एक सौ रुपये जमा कराऐंगे महासभा के आजीवन संरक्षक सदस्य कहलाएंगे। ऐसी महिलाएं जिनके पति महासमिति के 1,2,3,4,5 व 6 में से किसी भी प्रकार के सदस्य हैं वे रुपये 750/– जमा कराकर पत्रिका रहित संरक्षक सदस्य बन सकेंगे व महासमिति की आजीवन सदस्य रहेंगी।

(7) साधारण सदस्य– महासभा द्वारा स्वीकृत सदस्यता पत्र भर कर तथा 200 (दौ सौ) रुपये सदस्यता शुल्क देकर महासभा के साधारण सदस्य बन सकते है। केवल शाखा सभा चुनाव में भाग ले सकेंगे।

(8) सम्माननीय /सक्रिय सदस्य– ऐसे समाज बन्धु जो महासभा सदस्यता शुल्क के रुप में एक वर्ष में न्यूनतम दो लाख रुपये महासभा मे जमा करायेंगे उन्हें सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। ऐसे सदस्य सक्रिय सदस्य कहलायेंगे।

(9) विशिष्ट सदस्य– महासभा से जुडे हुए ऐसे व्यक्ति जिनका महासभा के लिये बहुत बड़ा योगदान रहा है, केन्द्र, राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित साहित्यकर, कलाकार व अन्य सम्मानित व्यक्ति जो उपरोक्त क्रंमाक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूची में सम्मिलित नहीं है, महासभा के कर्मठ सदस्य होंगे। ऐसे ग्यारह सदस्यों को कार्यकारिणी में 3 वर्ष के लिये प्रधान मनोनीत कर सकेंगे।

नोटः सदस्यता प्रकार क्रंमाक 1,2,3,4,5 एंव 6 को जांगिड ब्राह्मण'' पत्रिका आजीवन (15 वर्ष के लिए) प्रतिमाह भेजी जायेगी। रु. 750/– सदस्यता शुल्क जमा कर बनी महिला संरक्षक सदस्या को पत्रिका नहीं भेजी जायेगी।

REGISTRAR OF SOCIETIES * GOVT. OF DELHI * सत्यमेव जयते

2. महासभा का संगठनः

महासभा का संगठन पांच स्तरीय होगा ।

(1) महासभा– महासभा, राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था रहेगी।
(2) प्रादेशिक सभा– राज्य स्तर पर प्रादेशिक सभांए गठित होगी। छोटे राज्य होने पर उन राज्यों में जांगिड समाज की जंनसख्या कम हो तो दो या अधिक राज्यों की आचंलिक सभांए गठित की जा सकेगी। केन्द्र शासित राज्यों को निकटवर्ती राज्य या आचंलिक सभा में सम्मिलित किया जा सकेगा।
(3) जिला सभा– जिला स्तर पर गठित होगी ।
(4) ब्लाक /शहर सभा –
(क) तहसील स्तर पर तहसील सभा
(ख) ब्लाक स्तर पर ब्लाक सभा
(ग) शहर स्तर पर शहर शाखा सभा का गठन होगा
(घ) विधान सभा क्षेत्रानुसार सभाओं का गठन भी किया जा सकेगा
(5) ग्राम / पंचायत सभा– पंचायत स्तर पर भी सभा गठित की जा सकेगी। यदि ग्राम पंचायत में समाज की जनसंख्या कम हो तो दो या अधिक गांवो को/पंचायतों को मिलाकर गठन हो सकेगा।

3. संगठन की सभाओं के गठनः

शाखा सभाः

(क) महासभा के न्यूनतम 31 सदस्य स्थानीय शाखा का ग्राम/ शहर स्तर पर गठन करके महासभा को सूचित करेंगे । जनसंख्या की कमी होने पर एक या अधिक ग्रामों अथवा वार्डो को मिलाकर एक शाखा सभा का गठन किया जायेगा! यथा सम्भव शाखा सभाओं की संख्या बढाने की बजाय संगठन सुदृढ करने के उदेश्य से प्रत्येक शाखा सभा में अधिक से अधिक सदस्यों का समावेश किया जाये।
(ख) शाखा सभा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पदाधिकारियों सहित न्यूनतम 09 सदस्य होंगे।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as on........
Registrar of Societies

(ग) शाखा सभा का कार्यकाल महासभा से मान्यता मिलने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

(घ) शाखा सभा महासमिति के लिये एंव प्रादेशिक समिति के लिये क्रमशः एक एक प्रतिनिधि भेजेगी परन्तु दोनों दशाओ में उन्हें चुनाव में मताधिकार पंजीकरण मिलने के 6 माह बाद ही होगा।

(ड.) शाखा सभा के चुनाव एंव मान्यताः– जिला सभा का दायित्व होगा कि महासभा संविधान की पालना करते हुए प्रदेश सभा के निर्देशानुसार चुनाव सूचना दो माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगी। समय पर शाखा सभाओं के चुनाव करवाने होगे तथा महासभा व प्रदेश सभा को चुनाव कार्यक्रम व परिणाम की सूचना समय पर भिजवानी होगी।

शाखा सभा समिति के सदस्यः

1) शाखा सभा क्षेत्र निवासी महासमिति के सदस्य

2) शाखा सभा के सदस्य जिन्होनें 200/– रुपया देकर महासभा की साधारण सदस्यता प्राप्त कर रखी है ।

ब्लाक सभाओं का गठन का चुनावः

(क) जिला सभा का दायित्व होगा कि महासभा संविधान की पालना करते हुए प्रदेश सभा के निर्देशानुसार समय पर ब्लाक सभा का चुनाव कराएं, प्रदेश सभा के निर्देशानुसार सूचना दो माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने होंगे। महासभा व प्रदेश सभा को चुनाव कार्यक्रम व परिणाम की सूचना समय पर भिजवाएंगे।

(ख) ब्लाक सभा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पदाधिकारियों सहित न्यूनतम ग्यारह सदस्य होगें। ब्लाक सभा का कार्यकाल महासभा से मान्यता मिलने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

(ग) ब्लाक सभा एक अपना प्रतिनिधि महासमिति, प्रदेश समिति, जिला समिति के लिये मान्यता मिलने के 6 माह बाद भेज सकेगी।

ब्लाक समिति के सदस्यः

1) ब्लाक निवासी महासमिति के सदस्य

2) ब्लाक की प्रत्येक शाखा सभा के अध्यक्ष व मंत्री

ग्राम/ पंचायत सभाओं के चुनाव भी शाखा सभाओं की भांति जिला सभा कराएगी।

REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF DELHI
सत्यमेव जयते

जिला सभाओं का गठन व चुनावः

(क) जिला सभाओं का गठन/चुनाव, सम्बधित प्रदेश सभा कराएंगी।

(ख) जिला सभा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पदाधिकरियों सहित न्यूनतम 15 सदस्य होगें।

(ग) जिला सभा का कार्यकाल महासभा से मान्यता मिलने की तिथि से तीन वर्ष का होगा ।

(घ) जिला सभा महासमिति के लिये एक प्रतिनिधि तथा प्रदेश समिति में अध्यक्ष व मंत्री मान्यता मिलने के 6 माह बाद भेज सकेंगी ।

जिला सभा समिति के सदस्यः

1) सम्बधित जिला निवासी महासमिति के सदस्य

2) जिले की समस्त ब्लाक सभाएं व समाज की अन्य संस्थाए जो महासभा से पंजीकृत है, के अध्यक्ष या मंत्री

3) जिले की समस्त शाखा सभाएं व समाज की अन्य संस्थाए जो महासभा से पंजीकृत है, के अध्यक्ष या मंत्री

शाखा सभा, ब्लाक सभा व जिला सभाओं के लिए विशेष नियमः

(क) अपने द्वारा किये गये कार्यकलापों व सेवाओं के पूरे विवरण की जानकारी यथा समय महासभा व प्रदेश सभा को देती रहेगी।
सम्बधित संस्था उच्च संस्था को अग्रेषित करते हुये महासभा को प्रेषित करेगी।

(ख) महासभा की प्रेरणा से अपने क्षेत्र में मंदिर, धर्मशाला, विद्यालय व छात्रावास बनाऐंगे व नियमानुसार महासभा से पंजीकृत करायेंगे।

प्रधान   महामंत्री   कोषाध्यक्ष

Amended as on.................. 915

प्रादेशिक सभा / आंचलिक सभाः 01/07/08

Registrar of Society

कार्य की सुविधा के लिये देश को प्रादेशिक सभाओं / आंचलिक सभाओं में संगठित किया जायेगा जिनकी संख्या समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है । वर्तमान प्रदेश सभाएं निम्नलिखित हैं–

1. दिल्ली
2. हरियाणा
3. राजस्थान
4. उत्तर प्रदेश
5. मध्यप्रदेश
6. गुजरात
7. महाराष्ट्र
8. उत्तराखण्ड
9. गोवा
10. छत्तीसगढ
11. पंजाब
12. कर्नाटक
13. तमिलनाडु
14. आंध्र प्रदेश

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

(क) प्रादेशिक / आंचलिक सभाओं के गठन तथा चुनावः

प्रादेशिक / आचंलिक सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव महासभा द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव अधिकारी मंडल द्वारा कराया जायेगा। जिसके लिये मतदान तिथि एवं एक या अधिक मतदान केन्द्र का निर्धारण चुनाव अधिकारी करेंगे। चुनाव गुप्त मतदान से होगा ।

(ख) प्रदेश समिति के सदस्यः

प्रदेश समिति के निम्न सदस्य होंगे–

1) सम्बधित प्रदेश / अंचल के निवासी महासमिति के सदस्य
2) प्रदेश की सभी जिला, ब्लाक, तहसील, शाखा, ग्राम सभाओं तथा पंजीकृत संस्थाओं के अध्यक्ष / मंत्री अथवा इनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
3) प्रादेशिक / आचंलिक सभा का कार्यकाल महासभा से मान्यता मिलने की तिथि से 3 वर्ष का होगा ।
4) प्रादेशिक / आंचलिक सभा अपना एक प्रतिनिधि महासमिति में भेजेंगी।
5) प्रादेशिक / आंचलिक सभा की कार्यकारिणी में प्रदेशाध्यक्ष / आंचलिक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष (आवश्यक हो तो), वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष सभी एक–एक तथा उपाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, संरक्षक, सलाहकार, विधि सलाहकार व सदस्यों को प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत करेंगे जिनकी संख्या न्यूनतम 21 होगी।

4. मान्यता पंजीकरण शुल्कः

(क) प्रादेशिक / आंचलिक, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाऐं क्रमशः प्रादेशिक / आंचलिक सभा 1000 / –. रुपये, जिला व ब्लाक सभा 500 / – रुपये तथा शाखा, तहसील / ग्राम / पंचायत 250 / – रुपये, 3 वर्ष के लिये पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क देकर तथा अपनी–अपनी कार्यकारिणी की अधिकृत सूची पूर्ण विवरण सहित भेजकर महासभा से मान्यता प्राप्त करेगी।

कार्यकारिणी का नवीनीकरण 1 माह के अन्दर करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा 100 / – रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क (पेनेल्टी) देना होगा।

(ख) निम्न परिस्थितियों में उपरोक्त सभी सभाओं की मान्यता निरस्त की जा सकती हैं–

1) महासभा के मूल उद्देश्यों व सिद्धान्तों की अवहेलना करने पर ।
2) महासभा द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों की अवहेलना करने पर ।

प्रधान | महामंत्री | कोषाध्यक्ष

Amended as on...................

914

3) इस सभाओं की कार्यकारिणी के किसी सदस्य द्वारा महासभा के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने पर।

4) प्रतिवर्ष आय–व्यय विवरण चाटर्ड एकाउन्टेंट समकक्ष से ऑडिट करा महासभा को नहीं भेजने पर।

(ग) निरस्त करने का निर्णय लेने से पहले सम्बधित सभाओं को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ।

5. महासमितिः

महासमिति के निम्न सदस्य होंगे–

(1) महासभा से पंजीकृत समस्त प्रदेश / आंचलिक / जिला / शाखा ब्लाक / तहसील / ग्राम सभा व अन्य पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री अथवा मनोनीत प्रतिनिधि ।

(2) महासभा के प्लेटीनम, स्वर्ण, रजत, विशेष सम्पोषक, सम्पोषक व संरक्षक (आजीवन) सदस्य ।

(3) महासमिति की बैठकों में 2/3 (दो तिहाई) सदस्यों की उपस्थिति को गणपूरक माना जाएगा, कोरम के अभाव में एक घंटे पश्चात् पुनः बैठक बुलाई जायेगी, जिसका एजेण्डा यथावत रहेगा, परन्तु कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

(4) महासमिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रधान द्वारा बुलाई जायेगी या कम से कम 1000 महासमिति के सदस्यों के लिखित अनुरोध पर एक माह के अन्दर बुलाना अनिवार्य होगा। प्रधान अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार महासमिति की बैठक अनिवार्य रूप से करेंगे।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

6. कार्यसमितिः

(क) महासभा के कार्य संचालन के लिये महासमिति निर्धारित तिथि पर केवल महासभा के प्रधान का 3 वर्ष के लिये चुनाव करेगी।

(ख) निर्वाचित प्रधान 3 वर्ष के लिये अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे जिसमें न्यूनतम 10 प्रतिशत महिला व 10 प्रतिशत युवाओं (18–35)वर्ष को कार्यकारिणी में लिया जाएगा। इसमें से उप–प्रधान, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री भी लिये जायेंगे। कार्यकारिणी में न्यूनतम 101 सदस्य मय पदाधिकारी होंगे।

(ग) पिछली कार्यकाणी के प्रधान, महामंत्री तथा सम्पादक जो चुनाव से कम से कम 6 माह पहले तक कार्यरत रहे हों, कार्यकारिणी के 'पदेन' सदस्य होंगे।

(घ) कार्यकारिणी में विभिन्न प्रदेशों में महासमिति के सदस्यों की संख्या के अनुपात में ऐसे पदाधिकारी/ सदस्य लिये जायेंगे, जो–

(1) शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो ।
(2) सामाजिक लांछना व अवांछनीय गतिविधियों से मुक्त हो ।
(3) हिन्दी लिखना, पढ़ना बोलना जानता हो ।
(4) अपराधिक गतिविधियों से मुक्त हो ।
(5) महासमिति का सदस्य हो ।
(6) समाज सेवा में रूचि रखता हो व समाज सेवा का अनुभव हो ।
(7) पागल / दिवालिया न हो ।

(ड.) कार्यकारिणी में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति को गणपूरक माना जाएगा ।

(च) कार्यकारिणी समिति की बैठक महामंत्री द्वारा बुलाई जायेगी।न्यूनतम 30 सदस्यों केलिखित आवेदन पर 15 दिन मे बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

(छ) कार्यकारिणी की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार बुलानी होगी व बैठक कार्यवाही अनुमोदन पश्चात् ''जांगिड ब्राह्मण'' पत्रिका में प्रकाशित की जायेगी।

प्रधान | महामंत्री | कोषाध्यक्ष

Registrar of Society
07/07/2015

7. महासभा की कार्यकारिणीः

महासभा की कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारियों होगेः–

1)	संरक्षक	– एक या अधिक
2)	प्रधान	–
3)	कार्यकारी प्रधान	– एक (आवश्यक हो तो)
4)	वरिष्ठ उप–प्रधान	– एक या अधिक
5)	उप–प्रधान	– (आवश्यकता अनुसार)
6)	महामंत्री	– एक
7)	वरिष्ठ मंत्री	– एक
8)	मंत्री	– एक या अधिक
9)	संगठन मंत्री	– एक या अधिक
10)	प्रचार मंत्री	– एक या अधिक
11)	कोषाध्यक्ष	– एक
12)	उप–कोषाध्यक्ष	– एक
13)	सम्पादक	– एक
14)	सह–सम्पादक	– एक या अधिक
15)	सदस्य कार्यकारिणी	– 50 या अधिक
16)	विधि सलाहकार	– एक
17)	सलाहकार	– एक
18)	विशेष आमंत्रित	– सभी प्रदेशाध्यक्ष व अन्य सम्मानीय महानुभाव

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI सत्यमेव जयते

कार्यसमिति / कार्यकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्यः–

(1) महासभा की घोषित नीति के अनुसार महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी प्रकार के निर्णय लेना तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये व्यवहारिक उपाय करना ।

(2) महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रादेशिक /आचंलिक जिला, ब्लाक व शाखा सभाएं स्थापित करना, उनको मान्यता देना तथा उनके कार्य संचालन की देख रेख करना ।

(3) अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्णय लेना तथा उनके सफल आयोजन के प्रबन्ध करना ।

(4) विशेष विषयों व कार्यों के लिये समितियों अथवा उप–समितियों का गठन करना और उनको कार्य वितरण करना। जैसे–शिक्षा एवं कल्याण कोष, स्वरोजगार, युवा परिषद, अनुशासन समिति, महिला परिषद, राजैनेतिक प्रकोष्ठ कोर कमेटी, मध्यस्थता समिति, अंकेक्षण समिति आदि।

(5) महासभा के आय व व्यय निरीक्षण के लिये आंतरिक लेखा निरीक्षक नियुक्त करना ।

(6) बजट पास करना ।

(7) आवश्यकता अनुसार उपनियम बनाना ।

(8) अनुशासनहीन, दुव्यवहार करने वाले तथा महासभा की प्रतिष्ठा एवं सम्पत्ति को हानि पहुंचाने तथा आदेशों का पालन न करने वाले सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(9) चाटर्ड एकाउटेन्ट की नियुक्ति करना ।

(10) मुख्य चुनाव अधिकारी एक तथा चुनाव अधिकारी मंडल नियुक्त करना तथा चुनाव प्रक्रिया निर्धारित कर क्रियान्विति हेतु पूर्ण अधिकार देना।

(11) "उच्च स्तरीय समिति" का गठन जिसमें पूर्व प्रधान / महांमत्री /अनुभवी व्यक्ति सहित 11 सदस्य होंगे। किसी भी सदस्य / सदस्यों को महासभा से कोई शिकायत होने पर न्यायालय में जाने से पूर्व समिति में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह समिति अपनी रिर्पोट कार्यकारिणी को अधिकतम 01 माह में प्रस्तुत करेगी। इस समिति का गठन कार्यसमिति की प्रथम बैठक में होगा।

(12) कोर कमेटी का गठन– विशेष परिस्थितियों में शीघ्र निर्णय लिया जाना हो तो कोर कमेटी निर्णय ले सकेगी, परन्तु अगली कार्यकारिणी बैठक में अनुमोदन कराना होगा। कोर कमेटी में अनुभवी, धीर, गम्भीर महासभा हित चिन्तक को ही लिया जाएगा।

प्रधान | महामंत्री | कोषाध्यक्ष

912

Amended as on ...... Registrar of Society

8. (क) प्रधान के अधिकार व कर्त्तव्यः

(1) पदाधिकारियों की नियुक्ति करना एवं कार्य वितरण करना।
(2) महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निश्चित नीति निर्धारित करना।
(3) पत्र कार्यालय, भवन, मार्ग, व्यय आर्थिक अनुदान, आतिथ्य, प्रचार प्रकाशन व अन्य मदों के लिये वार्षिक बजट बनाना और कार्यसमिति द्वारा पास करना।
(4) महासभा, प्रादेशिक/आंचलिक, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाओं व अन्य सम्बधित संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करना।
(5) महासभा, कार्यसमिति तथा महासमिति की बैठकों की अध्यक्षता करना और नियमानुसार निर्णय लेना।
(6) संवैधानिक अनियमितता की स्थिति मे प्रादेशिक, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाओं को भंग करना तथा तदर्थ समितियां गठित कर उनके चुनाव का निर्णय लेना।
(7) 10,000/— रुपये तक खर्च करने का अधिकार।
(8) राजकीय स्तर पर महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निर्णय लेना।

कार्यकारी प्रधानः

प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना व सभी कार्यों में सहयोग करना।

वरिष्ठ उप—प्रधानः

प्रधान व कार्यकारी प्रधान की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना व सभी कार्यों में सहयोग करना।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

8. (ख) उप—प्रधान (एक या अधिक), के अधिकार व कर्त्तव्यः

प्रधान, कार्यकारी प्रधान, वरिष्ठ उप—प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान के निर्देशानुसार सहयोग करना।

8. (ग) महामंत्री के अधिकार व कर्त्तव्यः

(1) महासभा की निश्चित कार्यक्रम की पूर्ति के लिये प्रबन्ध करना।
(2) महासभा की निर्धारित नीति के अनुसार पत्र व्यवहार करना तथा महासभा की सम्पत्ति व कागजात आदि को सुरक्षित रखना।
(3) महासभा की समस्त बैठकों की कार्यवाही लिखना व वार्षिक रिर्पोट तैयार करना।
(4) कार्यसमिति के परामर्श से वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उन्हें हटाना।
(5) आवश्यकतानुसार कार्यसमिति की बैठक बुलाना।
(6) 5,000/— रुपये तक खर्च कर सकता है।
(7) महासभा के समस्त विभागों की देख रेख करना तथा प्रशासनिक तालमेल रखना।

वरिष्ठ मंत्री के अधिकार व कर्त्तव्यः
महामंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करना व महामंत्री के सभी कार्यों में सहयोग करना।

संगठन मंत्री के अधिकार व कर्त्तव्यः
महासभा से समाज को जोड़ने में सक्रिय भागीदारी।

प्रचार मंत्री के अधिकार व कर्त्तव्यः
महासभा कार्यो का प्रचार प्रसार करना।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as on 9/11
Registrar of Society

8. (घ) मंत्री (एक या अधिक), के अधिकार व कर्त्तव्यः

महामंत्री एवं वरिष्ठ मंत्री के समस्त कार्यों में सहायता देना तथा उनकी अनुपस्थितियों में उनके समस्त कर्त्तव्यों का पालन करना।

8. (ड.) कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्यः

(1) प्रधान या महामंत्री द्वारा पास किये गये बिलों का भुगतान करना।
(2) महासभा के धन को सुनियोजित ढंग से सुरक्षित रखना तथा कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति के अनुसार व्यय करना।
(3) वार्षिक हिसाब को समुचित रूप से संचालित करना तथा उसे आन्तरिक लेखा निरीक्षक व चार्टड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराकर 'जांगिड ब्राह्मण' पत्र में प्रकाशित करना। आन्तरिक लेखा निरीक्षक समय–समय पर महासभा के लेखा का निरीक्षण करके रिर्पोट तैयार करेंगे।
(4) महासमिति की बैठक में आय–व्यय विवरण प्रस्तुत करना।
(5) सदस्यों की लेखा सम्बधित आपत्तियों के संतोषजनक उत्तर देना।
(6) 5,000/– रुपये तक नकद रख सकता है, शेष राशि बैंक में जमा करना अनिवार्य है।

उप–कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्यः
प्रधान/ महामंत्री की अनुमति से कोषाध्यक्ष को कार्यों में सहयोग करना व कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करना।

REGISTRAR OF SOCIETIES * GOVT. OF DELHI *

8. (च) पुस्तकालयाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्यः

(1) धार्मिक व सामाजिक पुस्तकों, समाज सम्बन्धी दुलर्भ साहित्य, पत्र–पत्रिकाये, डोक्यूमेंटस, चित्र आदि का संग्रह करना। परन्तु पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यकारिणी का अंग न होकर प्रधान/ महामंत्री द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
(2) उनका वितरण सुनियोजित ढंग से करना एवं इनका संधारण व सम्पूर्ण रिकार्ड रजिस्टर में रखना।
(3) पुस्तकें आदि खरीदना तथा स्टाक में समाप्त हुई पुस्तको का पुनः मुद्रण कराना, प्रधान/ महामंत्री की अनुमति से

8. (छ) सम्पादक के अधिकार व कर्त्तव्यः

महासभा की नीति के अनुसार 'जांगिड ब्राह्मण' पत्र के लिए सामग्री का संकलन तथा मुद्रक प्रकाशक से समय पर मुद्रित करवाकर वितरण करना।

8. (ज) सह–सम्पादक (एक या अधिक), के अधिकार व कर्त्तव्यः

सम्पादक के समस्त कार्यों में सहायता देना तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके समस्त कर्त्तव्यों का पालन करना।

8. (झ) व्यवस्थापक (एक या अधिक), के अधिकार व कर्त्तव्यः

महासभा के सुचारु कार्य संचालन के लिये विभिन्न विभागों व निम्न चल–अचल सम्पत्ति के व्यवस्थापक होंगे जो अपने विभागों की समुचित व्यवस्था करेंगे तथा अन्य पदाधिकाारियों के सम्पर्क व सहयोग से कार्य करते हुये महासभा की सम्पत्ति की देख–रेख करेंगे।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

(1) बांकनेर पाठशाला (अंगिरस भारती पब्लिक स्कूल) व प्रस्तावित तकनीकी विद्यालय एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय (1919)।
(2) जांगिड मठ महरोली (1926)।
(3) जांगिड ब्राह्मण भवन, हवेली हैदर कुली, दिल्ली।
(4) अंगिरा प्रकाशन।
(5) पहाडी धीरज भवन, दिल्ली।
(6) ब्रह्मर्षि अंगिरा अतिथि गृह, मथुरा।
(7) गोपाल आश्रम, रोदगरान मोहल्ला, लाल कुआं दिल्ली।
(8) विश्वकर्मा मंदिर गोवर्धन।
(9) कार्यकारिणी समिति द्वारा स्थापित अन्य विभाग।

परन्तु व्यवस्थापकों की नियुक्ति प्रधान/ महामंत्री करेंगे व कार्यकारिणी का अंग नहीं होंगे।

सलाहकार के अधिकार व कर्त्तव्यः
प्रधान द्वारा चाहने पर सलाह देना।

विधि सलाहकार के अधिकार व कर्त्तव्यः
कानून की शिक्षा प्राप्त अनुभवी वकील मनोनीत होंगे जो प्रधान की कार्यकारिणी के चाहने पर कानूनी मामलों में सहयोग करेंगे।

विशेष आमंत्रित के अधिकार व कर्त्तव्यः
प्रधान के कार्यों में सहयोग करेंगे।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI सत्यमेव जयते

9. बैंकः

कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत बैंक में खाता खोलने व उसे आपरेट करने का अधिकार प्रधान, महामंत्री व कोषाध्यक्ष में से किसी दो को होगा। स्थायी कोष को आपरेट करने के लिये तीनों के हस्ताक्षर आवश्यक है।

10. सम्पत्ति नियंत्रणः

(क) महासभा किसी भी अवस्था में ऋण नहीं ले सकेगी एवं अंचल सम्पति को न गिरवी रखेगी और न बेचान कर सकेगी।
(ख) किसी सरकारी एवं व्यक्तिगत रिकार्ड में वर्णित महासभा की चल व अचल सम्पत्ति जांगिड ब्राह्मण महासभा की सम्पत्ति होगी जिसका सम्पूर्ण प्रभुत्व व उत्तर दायित्व महासभा की महासमिति में निहित होगा एवं किसी सरकारी, व्यक्तिगत एवं महासभा रिकार्ड में शेष यथावत
(ग) महासभा की ओर से अभियोग चलाने या महासभा पर चलाए गये अभियोग का वैध उत्तर देने का दायित्व महामंत्री अथवा कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति का होगा और महामंत्री अथवा नियुक्त व्यक्ति कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार ही इन कार्यों को कार्यान्वित करेंगे।
(घ) कार्य समिति एक उप समिति का गठन करेगी जो महासभा की समस्त सम्पत्तियों के मालिकाना हक सम्बन्धी मूल दस्तावेजों को सुरक्षित करने/बनवाने एवं सम्पत्तियों की देखरेख/ जीर्णोद्धार, उपयोग, वृद्धिसम्बन्धी सुझाव समय-समय पर कार्य समिति को देगी।

(ड.) महासभा के प्लेटीनम, गोल्डन, सिल्वर, सदस्यों से प्राप्त सदस्यता राशि को एफ.डी.आर. के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। इस सुरक्षित कोष के ब्याज को ही शिक्षा व कल्याण गतिविधियों पर ही काम में लिया जाएगा। एफ.डी.आर. राशि कभी आहरित नहीं की जायेगी।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as on.................

Registrar of Society

11. संविधान में संशोधनः

महासमिति को संविधान में समय, परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार है, किन्तु संविधान के मूल स्वरूप को पूर्ण रुपेण नहीं बदला जाएगा। यदि धाराओं में परिवर्तन/परिवर्धन या हटाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए महासमिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। महासमिति द्वारा सर्वसम्मति/बहुमत के आधार से पारित होने पर संशोधित संविधान तत्काल लागू होगा।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

12. विशेष नियमः

(1) सभी श्रेणियों के महासभा सदस्यों को महासभा द्वारा प्रमाणित सदस्यता फार्म भरना अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों की पूर्ण सूची महासभा में रखी जायेगी।

(2) शाखा सभा, ब्लाक सभा, जिला सभा, प्रादेशिक सभा के पदाधिकारियों को तथा महासभा कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों व सदस्यो को पद ग्रहण के दो माह के अन्दर जांगिड ब्राह्मण पत्र का ग्राहक बनना अनिवार्य हैं।

(3) शाखा सभायें, ब्लाक सभायें, जिला सभायें तथा प्रादेशिक सभायें अपनी अपनी कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची मान्यता प्राप्त करते समय महासभा को प्रेषित करेंगी। परन्तु इन सूचियों में कोई सदस्य जिसका पिछला रिकार्ड संदिग्ध है, नहीं लिया जायेगा जिसका निर्णय महासभा कार्यकारिणी सम्बधित सभा की सलाह से करेगी।

(4) महासभा का क्षेत्र सभी जांगिड बन्धुओं के लिये खुला है, कोई भी जांगिड बन्धु चाहे वह महासभा का सदस्य है या नहीं, अपनी समस्या उचित समाधान हेतु अपनी क्षेत्रीय सभाओं के द्वारा अथवा उसके माध्यम से महासभा के समक्ष रखने का अधिकारी है।

(5) महासभा के प्रधान पद के लिये प्रत्याशी को महासमिति का सदस्य होना अनिवार्य है तथा उसके प्रस्तावकों व समर्थकों को भी महासमिति का सदस्य होना अनिवार्य हैं। यही नियम प्रादेशिक, जिला, ब्लाक, शाखा सभाओं के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों पर भी लागू होगा। महासभा प्रधान के लिए प्रत्याशी क आयु कम से कम 50 वर्ष, प्रदेशाध्यक्ष के लिए कम से कम 40 वर्ष तथा जिला, तहसील एवं शाखा सभा अध्यक्ष हेतु कम से कम 30 वर्ष रहेगी। युवा वर्ग 18 वर्ष से 35 वर्ष रहेगा।

(6) महासमिति का कोई भी सदस्य महासभा के प्रधान पद हेतु दो सत्र अथवा 6 वर्ष से अधिक प्रधान पद के लिये निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

(7) संरक्षक सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार सदस्य बनने के दो माह बाद होगा। यही शर्त प्लेटीनम, स्वर्ण, रजत, विशेष सम्पोषक व सम्पोषक सदस्य पर लागू होगी।

(8) किसी भी न्यायालय से दंडित तथा अपराधी व्यक्ति तथा भंयकर रोगी महासभा के प्रधान पद के लिये तथा अन्य सभा के अध्यक्ष पद के लिये प्रत्याशी नहीं हो सकेगा।

(9) यदि किसी प्रादेशिक सभा की मान्यता समाप्त करके उसको भंग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महासभा कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार तदर्थ समिति का गठन नये चुनाव कराने तक किया जा सकेगा।

(10) एक व्यक्ति महासभा, प्रादेशिक सभा, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाओं में से किसी एक ही सभा का पदाधिकारी रह सकेगा।

(11) महासभा द्वारा प्रमाणित रसीद का प्रयोग ही प्रदेश, जिला, ब्लाक, शाखा सभाओं द्वारा किया जायेगा। किसी भी संस्था को अपनी रसीदों द्वारा महासभा के नाम पर धन एकत्र करने का अधिकार नहीं होगा। महासभा के नाम पर अगर कोई संस्था अथवा व्यक्ति बिना महासभा की अनुमति के धन संग्रह करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का महासभा को अधिकार होगा।

(12) प्रादेशिक/आंचलिक, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाओं से सम्बधित नियम/उप–नियम बनाने का अधिकार महासभा की कार्यकारिणी को होगा।

(13) सभी सभाओं की कार्यकारिणी में महिलाओं को न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

प्रधान   महामंत्री   कोषाध्यक्ष

908

(14) महासभा एवं महासभा की किसी भी ईकाई के प्रधान/अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्ति की दिनांक पर चुनाव किसी विशेष परिस्थिति में ना हो सके तो उन्हें एवं उनकी कार्यकारिणी को किसी भी प्रकार के नीतिगत फैसले/मीटिंग लेने का नैतिक अधिकार नहीं होगा।

(15) महासभा अधिवेशन के अलावा विभिन्न प्रदेश स्तरों पर भी प्रदेशसभा को अधिवेशन कराना होगा, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग महासभा से जुड़ सके एवं कार्यकलापों से परिचित हो सके, समाज के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा सके। प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकाल में एक बार अधिवेशन आवश्यक रूप से करावें।

(16) महिला शक्ति के रूप में महिला शाखा एवं युवा शक्ति के रूप में युवा शाखा सभा का गठन प्रत्येक ईकाई पर हो।

(17) प्रधान के त्यागपत्र की स्थिति में चुनाव व्यवस्था अधिकतम 6 माह में कार्य उच्च स्तरीय समिति करेगी परन्तु नीति गत फैसला नहीं ले सकेगी। महासभा के सामान्य कार्य करने एवं चुनाव व्यवस्था हेतु व्यय राशि की व्यवस्था उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष/मंत्री संयुक्त रूप से संचालन करेंगे।

(18) साधारण सदस्यों से प्राप्त राशि का वितरण, स्थानीय संस्था जो सदस्य बनायेगी (शाखा अथवा तहसील) उसे 50 प्रतिशत, जिला सभा 25 प्रतिशत एवं प्रदेश सभा 25 प्रतिशत रहेगा। महासभा कोई भी हिस्सा राशि नहीं लेगी। केवल पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क लेकर उचित माध्यम (उच्च संस्था द्वारा अग्रषित) द्वारा प्राप्त संस्था पंजीकरण आवेदन पर पंजीकरण महासभा करेगी।

(19) महासभा/प्रदेश सभा के पदाधिकारियों की कार्य शाला आयोजित कर महासभा अपने उद्देश्यों की क्रियान्विति हेतु सम्भाषण परिचर्चायें करेंगी।

(20) चुनाव पश्चात् नवीन कार्यकारिणी को 15 दिन में चार्ज नहीं देने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का महासभा को अधिकार होगा।

(21) महासभा के किसी भी सदस्य को –
(क) महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक होने पर।
(ख) महासभा के आदेशों के विरुद्ध कार्य करने पर।
(ग) समाज के राजनैतिक बल पर तोड़–फोड़ करने पर।
(घ) समाज के धन का दुरुपयोग करने पर।
(ङ) महासभा की सम्पत्ति का दुरुपयोग अथवा हानि पहुंचाने पर।
(च) समाज मे अव्यवस्था को बढ़ावा देने पर कार्यकारिणी के निर्णयानुसार महासभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।
(छ) चुनाव पश्चात् नवीन कार्यकारिणी को 15 दिन में चार्ज नहीं देने पर ।

13. कार्यकालः

महासभा एवं सभी स्तर की सभाओं यथा प्रदेश सभा, जिला सभा, शाखा आदि की कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च। आय–व्यय विवरण हेतु वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा।

14. चुनावः

(1) महासभा कार्यकारिणी, प्रधान/प्रदेशाध्यक्ष के तीन वर्ष हेतु चुनाव के लिये मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव अधिकारी मंडल की नियुक्ति करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी सम्बधित प्रदेशाध्यक्ष से विचार विमर्श कर, मतदान केन्द्रों के स्थान निर्धारण करेगी चुनाव की तिथि महासभा कार्यकारिणी तय करेगी। दूरस्थ स्थान होने पर विशेष परिस्थितियों में चुनाव अधिकारी स्वविवेक से मतदान केन्द्रों के स्थानों का चयन कर सकेंगे।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

(2) उपरोक्त निर्णय के अनुसार चुनाव सम्बन्धी अधिसूचना, चुनाव की तिथि, स्थान तथा महासमिति के सदस्यों की पूरी सूची, चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन प्राप्त करने की, जांच करने की तथा नाम वापस लेने की तिथि सहित सभी सूचनाएं चुनाव की तिथि से दो माह पूर्व बेब साइट व महासभा के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। समयानुसार महासमिति के सदस्यों की सूचि जांगिड ब्राह्मण पत्र में प्रकाशित की जायेगी

(3) इससे पहले सभी प्रादेशिक/आचंलिक, जिला, ब्लाक तथा शाखा सभाओं को उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची महासभा को भेजनी होगी, जिससे वह सूची मे सम्मिलित किये जा सके, अगर समय पर प्रतिनिधियों की सूची नहीं भेजी गयी तो ऐसे प्रतिनिधियों को मताधिकार से वंचित रखा जा सकता है।

(4) नाम वापिस लेने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन जांगिड ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित करेंगे तथा बेवसाइट व कार्यालय महासभा पर उपलब्ध रहेगी।

(5) महासमिति के सदस्य महासभा से अपना अपना परिचय पत्र प्राप्त करके चुनाव स्थल पर जायेंगे। परिचय पत्र प्राप्त महासमिति के सदस्यों के अतिरिक्त और किसी को चुनाव स्थल पर जानें का अधिकार नहीं होगा।

(6) विदेशों के महासमिति के सदस्य अपने मत चुनाव अधिकारी से प्राप्त कर ईमेल द्वारा चुनाव अधिकारी के पास भेज सकेंगे।

(7) चुनाव निश्चित तिथि पर यथासंभव सर्वसम्मति से कराये जायेंगे। सर्वसम्मति नहीं बनने पर चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न कराएंगे।

(8) प्रत्येक चुनाव के पहले प्रधान/अध्यक्ष, महासभा कार्यकारिणी को अंकेक्षित आय-व्यय विवरण एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि चुनाव सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर वह नये प्रधान/अध्यक्ष को सम्पूर्ण चार्ज दे देगा, ऐसा नहीं करने पर चुनाव अधिकारी महासभा से ऐसे सदस्यों को भविष्य में चुनाव में भाग लेने के अयोग्य घोषित कराने की सिफारिश कर सकेंगे, जिसे कार्य समिति के निर्णयानुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

(9) महासभा प्रधान हेतु रुपये 21000/-, प्रदेशाध्यक्ष हेतु 11000/-, जिला सभाध्यक्ष हेतु 5000/-, शाखा सभाध्यक्ष हेतु 2500/- चुनाव पूर्व अमानत राशि नामांकन पत्र के साथ जमा करानी होगी। जिन प्रत्याशियों को 10 प्रतिशत से कम मत मिलेगें उनकी अमानत राशि जब्त कर महासभा कोष में जमा कर ली जायेगी। अन्य को उनके आवेदन पर 50 प्रतिशत वापस लौटा दी जायेगी। सर्वसम्मति की स्थिति में सभी प्रत्याशियों को पूर्ण राशि लौटा दी जायेगी। ब्लाक/तहसील/ ग्राम सभा अध्यक्ष हेतु भी अमानत राशी रु. 2500/- रहेगी।

(10) चुनाव अधिकारी को प्रत्येक प्रत्याशी महासभा, प्रदेशसभा, जिला सभा/शाखा सभा आदि से अनापत्ति/अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नामांकन पत्र प्राप्त के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा चुनाव अधिकारी नामांकन निरस्त कर सकेगा।

15. सम्बद्धताः

जांगिड ब्राह्मण समाज द्वारा सचांलित विश्वकर्मा मंदिर, छात्रावास, विद्यालय, धर्मशाला, नवयुवक मंडल आदि कोई भी संस्था महासभा के साथ एफिलिएटिड हो सकेंगी। सम्बन्ध संस्था के प्रधान/महामंत्री महासमिति के सदस्य होंगे और इसी प्रकार महासभा की कार्यसमिति द्वारा मनोनीत दो सदस्य सम्बंध संस्था को अपनी कार्यकारिणी में लेने होंगे, आय-व्यय का विवरण जांगिड ब्राह्मण पत्र में प्रकाशित कराना होगा, किन्तु पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष या मंत्री महासमिति के सदस्य होंगे।

16. कानूनीः

महासभा का अभियोग अथवा कानूनी कार्यवाही महासभा के मुख्यालय दिल्ली पर ही की जा सकती है।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as ...
Registrar of Society

महासमिति मीटिंग में संविधान संशोधन सम्बन्धित सुझाव

(1) वर्तमान में महासभा का पंजीकरण "जांगिड ब्राह्मण महासभा" नाम से है। इसे "अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा (रजि.) दिल्ली" किया जाकर संशोधन करवाया जाये। समान रूप से इसी नाम के आगे समस्त ईकाईयां यथा प्रदेशसभा, जिला सभा, तहसील सभा एवं शाखा सभा नाम होगा। साथ ही बैंक खाते भी इसी नाम से हो।

(2) महासभा नियमावली के सदस्यता कॉलम में सदस्यता प्रकार क्रमांक (1, 2, 3, 4, 5 एवं 6) को "जांगिड ब्राह्मण" पत्रिका आजीवन भेजी जायेगी। प्रस्ताविक संविधान संशोधन लागू होने के उपरान्त बने नये आजीवन सदस्यों को "जांगिड ब्राह्मण" पत्रिका 15 वर्ष तक भेजी जायेगी लेकिन महासमिति के सदस्य आजीवन रहेंगे। 15 वर्ष पश्चात् पत्रिका लेने हेतु प्रचलित संरक्षक सदस्यता राशि का पचास प्रतिशत भुगतान देय होगा।

(3) संरक्षक सदस्यता शुल्क 1100/– रु. ही रहेगा।

(4) नियम–5 महासमिति कॉलम (ग) में महासमिति की बैठकों में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति को गणपूरक माना जायेगा, अनिवार्य होगा।

(5) नियम–7 महासभा की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपप्रधान एक, वरिष्ठ मंत्री एक एवं प्रवक्ता एक होगा। पदेन सदस्यों के रूप में पूर्व कार्यकारिणी महासभा (निवर्तमान) के प्रधान, महामंत्री एवं सम्पादक होगें। समस्त प्रदेशाध्यक्ष महासभा के आधार स्तम्भ है, अतः आवश्यक रूप से सम्मानीय विशेष आमन्त्रित रहेंगे।

(6) नियम–7 कार्यसमिति/कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य में "उच्च स्तरीय समिति" में 7 के स्थान पर 11 सम्मानीय सदस्य रहेंगे।

(7.) विशेष नियम–12 में साधारण सदस्यों से प्राप्त राशि का वितरण स्थानीय संस्था जो सदस्य बनायेगी उसे 50 प्रतिशत, जिला सभा 25 प्रतिशत एवं प्रदेशसभा 25 प्रतिशत रहेगा। महासभा कोई भी हिस्सा राशि नहीं लेगी।

(8) नियम–1 सदस्यता के कॉलम (क) केवल जांगिड ब्राह्मण जाति के 18 वर्ष व इससे अधिक आयु के स्त्री, पुरूष महासभा के सदस्य बन सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु का सदस्य महासमिति का सदस्य नहीं होगा, केवल दानदाता के रूप में पहचान होगी।

(9) नियम–8 क, ग एवं 3 में प्रधान, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के खर्च करने के अधिकार क्रमशः रु. 10000/–, 5000/– एवं 5000/– रहेंगे।

(10.) विशेष नियम–12 में महासभा प्रधान के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 50 वर्ष, प्रदेशाध्यक्ष के लिए कम से कम 40 वर्ष तथा जिला, तहसील एवं शाखा अध्यक्ष के लिए कम से कम 30 वर्ष रहेगी। क्योंकि युवाओं की आयु वर्ग (18–35 वर्ष) है।

(11.) विशेष नियम–12 में जोड़ा जाये कि महासभा की किसी भी ईकाई के प्रधान/अध्यक्ष का कार्याकाल समाप्ति की दिनांक पर चुनाव किसी विशेष परिस्थिति में ना हो सके तो उन्हें नीतिगत फैसले लेने का नैतिक अधिकार नहीं होगा।

(12.) महासभा एवं इसकी समस्त ईकाईयों को प्रतिवर्ष "ब्रह्मर्षि अंगिरा" जयन्ति एवं "श्री विश्वकर्मा" जयन्ति मनाई जानी चाहिए।

(13.) महासभा अधिवेशन के अलावा प्रदेश स्तर पर भी अधिवेशन होने चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग महासभा से जुड़ सके एवं कार्यकलापों से परिचित हो सकें, समाज के सर्वांगीण विकास में अहम् भूमिका निभा सके। प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकाल में एक बार अधिवेशन आवश्यक रूप से करे।

(14.) महिला शक्ति एवं युवा शक्ति का गठन प्रत्येक ईकाई पर हो।

महासमिति मीटिंग दिनांक 27 जनवरी 2013 को इन्दौर (म.प्र.) में आयोजित हुई, उपरोक्त प्राप्त सुझावों एवं सदन से प्राप्त सकारात्मक विचारों का संकलन कर संविधान संशोधन समिति ने समाजहित एवं महासभा हित को ध्यान में रखते हुए उक्त सभी सुझावों को स्वीकार कर प्रस्तावित संविधान संशोधन में सर्वसम्मति से सम्मिलित कर लिया है।

प्रधान महामंत्री कोषाध्यक्ष

Amended as on............
Registrar of Society

संवि[illegible]न संशोधन समिति के सदस्यः

1. पं. बी.सी. शर्मा, जयपुर
2. पं. बाबूलाल कश्यप, दिल्ली
3. पं. के.डी. शर्मा (एडवोकेट), दिल्ली
4. पं. श्रीगोपाल चोयल, अजमेर
5. पं. रविशंकर शर्मा, जयपुर
6. पं. रमेश चन्द जांगिड (सीदड़), अजमेर

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा 440, हवेली हैदर कुली, चांदनी चौक, दिल्ली-06

प्रधान

President
Jangid Brahmin Mahasabha
440, Haveli Haiderpuli Chandni Chowk
DELHI-6

महामंत्री

SHIV NATH SHARMA
General Secretary
Akhil Bhartiya Jangid Brahmin
Maha Sabha Delhi

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
अ० भा० जांगिड ब्राह्मण महासभा
दिल्ली-6

Amended as on........ 07/07/2014

Registrar of Society

S-27

I

Amended MOA

REGISTRAR OF SOCIETIES

GOVT. OF DELHI

सत्यमेव जयते

07/07/2014.